न्यायालय माननीय सदस्य म0प्र0 राजस्व मण्डल कैम्प भोपाल

अपील-4927/2018/सीहोर/भू.रा. प्र. क्र.अपील / /18 सिहोर

सलीमन बी पत्नी लियाकत अली
निवासी एवं कृषक ग्राम विछिया तहसील एवं
जिला सिहोर म0प्र0 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर महोदय
जिला सिहोर म0प्र0 .... प्रत्यर्थी

म0प्र भू-राजस्व सहिंता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपील

माननीय महोदय

आवेदक विद्वान अपर आयुक्त महोदय भोपाल सभांग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 565/अपील/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24/11/17 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर तथा माननीय अपर आयुक्त भोपाल सभागं भोपाल द्वारा प्रकरण क0 548/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 15/01/18 में द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में यह अपील माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रही है। ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम विछिया तहसील एवं जिला सिहोर स्थित भूमि खसरा क0 98/30 रकवा 4.94 एकड भूमि अपीलार्थी द्वारा श्री मदनलाल से कय की गयी थी । परन्तु राजस्व रिकार्ड में "अहस्तान्तरणीय" टीप अकिंत होने के कारण प्रश्नाधीन भूमि पर अपीलार्थी का नामान्तरण नही हो सका था । इसलिये अपीलार्थी ने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदक पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया कि उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अकिंत "अहस्तान्तरणीय" टीप को विलोपित किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर सभी आवश्यक जाचं कार्यवाही करने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में अकिंत "अहस्तान्तरणीय" टीप को विलोपित किये जाने के सबन्ध में नियमानुसार राशि जमा करने के आदेश दिये। माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन में अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा की गयी । परन्तु माननीय अपर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण को अधिनियम कि धारा 50 के अन्तर्गत स्वमेव निगरानी में लेते हुए आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रकरण क0 15/स्व0निगरानी/15-16 में पारित आदेश दिनांक 05/06/16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/01/16 को निरस्त करने के आदेश दिये । माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश के विरुद्व अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग-अ

प्रकरण क्रमांक अपील 4927/2018/सीहोर /भू0रा0

सलीमन बी विरूद्ध म0प्र0 शासन द्वारा अपर कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों अभि आदि
14-03-19	अपीलार्थी अभिभाषक श्री प्रेमसिंह ठाकुर को प्रकरण के ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 565/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-11-2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(2) के तहत प्रस्तुत की गई है। 3/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावोजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने ग्राम विछिया खसरा कमांक 98/30 रकवा 4.94 एकड़ भूमि मदनलाल पुत्र डालचंद को पट्टे पर प्रदान की गई थी। मदनलाल द्वारा दिनांक 18-5-2006 को भूमि अपीलार्थी को विकय की। भूमि अहस्तांतरणीय होने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने 10 प्रतिशत राशि जमा कर अस्तांतरणीय प्रविष्टि विलोपित करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर सीहोर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर जांच की तथा विचारोपरांत यह पाते हुये कि मूल पट्टेदार मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रश्नाधीन भूमि शासन हित वैष्ठित करने के आदेश दिये।प्रश्नाधीन भूमि शासन द्वारा मदनलाल के परिवार को जीविका उपार्जन हेतु पटटे पर दी गई थी	

14/3/19

जिसकी न्यूनतम सीमा दस वर्ष के भीतर ही अपीलार्थी को विकय कर दी जो विधि के विपरीत है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7)(ख) के अन्तर्गत बिना कलेक्टर की अनुमति के किया गया विकय वैध नहीं माना जा सकता। इस संबंध में 2007 आर एन 2018 रहीम खां विरूद्ध सुरेश चन्द्र में माननीय उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपदित किया है–

"पट्टे में शासन द्वारा जमीन दी गई है तो दस वर्ष तक उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है, यदि 10 वर्ष बाद भी अंतरण करना हो तो कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। अनुमति के बिना अंतरण शून्य है।"

अपर कलेक्टर द्वारा विधि के अनुसार कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अपीलार्थी द्वारा इस अपील प्रकरण में ऐसा कोई आधार नहीं बतालया है जिससे दोनों अधीनस्थ न्यायालयों कें आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। फलस्वरूप यह अपील प्रथमदृष्टया ही आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य 19/3/19